न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 14/2019 (2019/00058)

श्रीमति मनीषा पत्नि देवीलाल उर्फ देवु जाति मेघवाल निवासी ग्राम–गामडी, तहसील आसपुरा, जिला डूंगरपुर–हाल निवासी–49, यूआई.टी. कॉलोनी, डबल स्टोरी, वैशालीनगर, अजमेर। .... **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार अजमेर। .... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री औमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 13.06.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2075 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम घूघरा तहसील अजमेर व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 3184 रकबा 0–41 हैक्टर किस्म बारानी–2 में से 181 वर्ग मीटर सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से मुटाम बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार द्वितीय, अजमेर द्वारा अतिकमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 47/2019 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई पश्चात दिनांक 15.04.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिकमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम घूघरा तहसील अजमेर व जिला–अजमेर स्थित 3184 रकबा 0–41 हैक्टर किस्म बारानी–2 राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 में अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी दर्ज है। रेस्पोडेन्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख एवं मौका स्थिति की जांच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91/90 ए के तहत कार्यवाही करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलान्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार द्वितीय, अजमेर द्वारा प्रश्नगत आराजी खातेदारी होने की जानकारी होते हुए भी अपना पूर्ण न्यायिक विवेक प्रयोग में लाये बिना ही आक्षेपित कार्यवाही की गई है। प्रकरण में लिप्त आराजी के खातेदार द्वारा आराजी पर मुटाम आराजी की सीमा की निर्माण का

जिला कलक्टर
अजमेर

वास्तविक प्रयोजन भूमि सुरक्षा/सुधार के लिए एवं काश्त की सुरक्षा के लिए किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय (सिवाय चक) भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को प्रकरण में जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के तहत होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, अजमेर से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मय रिकार्ड तलब किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम घूघरा की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के लेखन में राजस्व कार्मिको द्वारा की गई अनियमिताओं के तहत राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज कई खसरा नम्बरों की आराजी को बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये खातेदारी दर्ज कर दी गई। जिला कलक्टर (भू0अ0) अजमेर के पत्र क्रमांक 6239 दिनांक 5.9.2017 द्वारा इन खसरा नम्बरों की आराजी को नियमानुसार पुनः सरकारी/सिवायचक खातों में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। चूंकि खसरा नं0 3184 की प्रश्नगत आराजी भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिसल बन्दोबस्त में सिवाय चक दर्ज थी। लिहाजा जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त निर्देश/आदेश की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा बाद जांच जरिये शुद्धि–पत्र खसरा नं0 3184 की आराजी को पुनः सिवाय चक दर्ज की गई है। फलस्वरूप विवादित भूमि सम्वत 2075 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। राजकीय (सिवाय चक) भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं है। यदि विवादित आराजी बाबत कोई हक अधिकार बनता है तो अपीलान्टस अपने हकों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। सारांशतः अपीलान्ट्स की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.06..2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर